न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–72 / 2026

GCMS No.- 2026/81

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री विष्णु पुत्र श्री रघुनाथ जरिये मालिक विष्णु होटल बस स्टेण्ड मेड़ता, तहसील– मेड़ता

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय　　　　　　　　दिनांक :–08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल स्वयं आज तारीख पेशी पर उपस्थित है।

प्रकरण में उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 24.02.2026 को श्री रामजीवण बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामनिवास बेरवाल, श्री ओमेन्द्र कुमार व श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा विष्णु होटल का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उक्त होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में खाद्य सामग्री / चाय / कॉफी बनायी जा रही

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

हैं। दूकानदार से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवायें गये है।

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त का वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	भारत गैस	00955 T	18.5 Kg	15.7 Kg	2.8 Kg

इस प्रकार होटल मालिक का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर श्री संदीप शर्मा पुत्र संतोष शर्मा मैसर्स चारभुजा भारत गैस, गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में प्रकरण के निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये है।

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में गैर सायल आज स्वयं उपस्थित हैं परन्तु उनके द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल विष्णु स्वयं के हस्ताक्षर है जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल की उपस्थिति में की गई है एवं उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये है एवं न ही न्यायालय में आज पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना विधिक गैस कनेक्शन के ही घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग/भण्डारण किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रकरण में जब्त सुदा उपरोक्त 01 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते है कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय

कलक्टर नागौर

गैस का कीमतन निस्तारण किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावें। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर